

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(2)न्याय/2024

जयपुर, दिनांक

:: आज्ञा ::

राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2022 एवं राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत शहीद श्री बजरंग सिंह की आश्रित पुत्री श्रीमती विनोद कंवर को कार्मिक विभाग व राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति की अभिशंसा के आधार पर निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(5)डीओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 के अधीन अस्थायी रूप से एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचनाएं:-

- i. एफ.12(6)एफ.डी./रुल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
- ii. एफ.16(2)एफ.डी./रुल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
- iii. एफ.13(1)एफ.डी./रुल्स/03/ दिनांक 13.03.2006
- iv. एफ.6(6)एफ.डी./रुल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
- v. एफ.16(5)एफ.डी./रुल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
- vi. एफ.1(2)एफ.डी./रुल्स/06/ दिनांक 13.03.2006
- vii. एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/17/ दिनांक 30.10.2017

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं:-

- i. प.7(2)कार्मिक/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006
- ii. प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006

S. No.	Name (Mr./Smt./Miss)	Father's Name	Category	Birth Date	Photo
1.	VINOD KANWAR	LATE BAJRANG SINGH	GE,WE	15.07.1980	

उक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

1. अभ्यर्थियों को पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से 21 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 21 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को तुरन्त प्रभाव से भिजवाएंगे। कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. परिवीक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थियों का आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणवश अभ्यर्थी की राजकीय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
3. यह नियुक्ति सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन होगी। इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना

क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 एवं एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/17/ दिनांक 30.10.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक देय होगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी का पे-बेण्ड नं.-2 9300-34800 ग्रेड पे नं.-11 - 3600 LEVEL-10 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है, जो परीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर नियमित वेतनमान देय होगा।

4. कार्यग्रहण करने वाली अभ्यार्थियां को कार्यग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
5. पूर्वाचरण की जांच एवं चरित्र से संबंधित भविष्य में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/सूचना प्राप्त हुई तो इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

उक्त अभ्यार्थिया के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
5. संबंधित विभाग।
6. संबंधित कनिष्ठ विधि अधिकारी।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव